

Form No. III
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा


कद अदकाम
 (विषय 28)

अमर सिंह शाह बन्धु महीपाल सिंह व अन्य
 हुकम का कार्यवाही मय इन्फिजियल जज
 पार्शना पत्र 212 एओडीओ संख्या 21 वर्ष 2019


नाम व नांगिया
 अदकाम की हुम हुम
 की नांगिया म तिजारा

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता तपस्थित है को सुना गया। परस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कंस प्रथम दृष्टया बनता है एव सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 16.09.2020 तक अस्थायी निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खरारा नम्बर 523/1 बीघा 2 बिस्वा 524/1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी तिथि तक प्रार्थी के हिस्से की आराजी को रहन, बय एव मुन्तकिल ना करें। क्यो न उक्त आदेश ताफेंसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करें। वकील प्रार्थीगण वारते तलवी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड एओडीओ के नोटिस तलवाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, वाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।


 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

25/03/20

आज पत्रावली मी 16/09/20 को मय आदमी
 गते के माल आद पेश की परती अन्य
 दस्तावेज अल वर से मय तिजारा 25/03/20
 मी पेश की 

उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

08 06

भाग नगावली क्षेत्र की जाफ़े व जाफ़े थाने
जाफ़े जाफ़े व जाफ़े क्षेत्र का वल इले
हाजरी के कार्ड हो गए हैं इन जाफ़े
जाफ़े डिप्ट गामल निमाक अल वल ए

उपखण्ड अधिकारी
विजास (अलवर)